INDIA TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(152)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012 R-3831-II/12

गुरूवा उर्फ गोरेलाल पुत्र चुन्नूधोबी, निवासी– ग्राम कगरे का बारा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) ———आवेदक

श्री आर० डी० शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 6-11-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-11-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. सिपाही लाल बल्द बल्दू धोबी, निवासी– ग्राम कगरे का बारा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, पन्ना (म.प्र.)

———अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी,अजयगढ़, जिला पन्ना द्वारा प्र.क्र. 6/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

6-11-12

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

Received 6/11/12

1. यह कि, ग्राम कगरे का बारा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना में स्थित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 490/2 नवीन सर्वे क्रमांक 550 रकवा 15.00 एकड़ (6.06 हैक्टर) आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्त्व एवं आधिपत्य की भूमि है। वर्तमान में आवेदक का ही कब्जा है।
2. यह कि, अनावेदक, आवेदक का सगा भांजा है। वह आवेदक के साथ ही रहता था। आवेदक अपढ़ अशिक्षित व्यक्ति है। अनावेदक ने

Har Hament(Rd-=1)

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी**-3831-दो/2012 जिला पन्ना

गुरूवा॰ा विरूद्ध सिपाहीलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 6/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-10-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) सदस्य 05/3/19	